न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 104 / 2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024 / 171

प्रार्थी		विप्रार्थी
दोलाराम पुत्र रामाराम जाति भील निवासी पचपदरा व जिला बालोतरा	बनाम	राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री जेठूलाल कुमावत,प्रार्थी अधिवक्ता

2.विप्रार्थी उपस्थित।

:निर्णय:

दिनांक– 27.06.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी दोलाराम पुत्र रामाराम जाति भील निवासी पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3529 / 1824 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2608 / 89 क्षेत्रफल 11.4323 हैक्टेयर भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया [illegible] आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में [illegible] विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2608 / 89 क्षेत्रफल 1[illegible] प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 3529 / 1824 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर तक [illegible] के चौड़ा रास्ता 30 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.07.01 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपत्ति नहीं। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु उपलब्ध विकल्प में से उपयुक्त रास्ता करने का निवेदन किया।

04. हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 2608/89 क्षेत्रफल 11.4323 हैक्टेयर में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :-

i. ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3529/1824 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टयर किस्म बा.दोयम भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 2608/89 रकबा 11.4323 हैक्टयर किस्म बा.दोयम में से 0.0390 हैक्टयर अर्थात 30X 140=4200 वर्गफीट यानि 390.39 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित की गई हैं। तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है।

ii. तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संबध में पुनः मौका मुआयना करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करवानें हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किए जाने पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 06.6.2024 को उपलब्ध करवाया,रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत व कटाण रास्ता के खसरा संख्या 2610/89 के मध्य खसरा संख्या 2608/89 सिवायचक भूमि है,जो कि एक लम्बी पट्टी आई हुई है। कटाण रास्ता से खसरा संख्या 2608/89 में से प्रस्तावित रास्ता जो आगे समर्पित भूमि रास्ता से मिलता है। खसरा संख्या 3529/1824 में कटाण रास्ता तक पंहुच हेतु निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है,जहां प्रस्तावित किया जा सके। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है।

05. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः-

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप [illegible] वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करत[illegible] द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

06. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 3529/1824 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की क्षेत्रफल 30X140= 4200 वर्गफीट यानि 390.39 वर्गमीटर हैं,जो खसरा संख्या 2608/89 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है,इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता C-D अधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

07. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचन के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदा[illegible] जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। [illegible] स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत [illegible] स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लि[illegible]कर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.07.01 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क C-D कुल रकबा 0.0390 हैक्टयर बीघा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–2,02,142 रूपये प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर हेतु देय राशि–62,368/–रूपये बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3529/1824 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 2608/89 क्षेत्रफल 11.4323 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शानुसार मार्क C-D लम्बाई 140 फीट X चौड़ाई 30 फीट= 4200 वर्गफीट यानि 390.39 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 0.0390 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 62,368/–(अक्षरे बासठ हजार तीन सौ अड़सठ)रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 07.6.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested